

निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर  
प्रकरण संख्या 626/2025 (मुत्तकिल प्रार्थना पत्र )

1. मन्दिर ठाकुर जी कल्याण जी विराजमान जलमहल के पास जारिये पुजारी श्री मूलचन्द मिश्रा दत्तक पुत्र मैरू नारायण, जाति बाह्यण, निवासी कल्याण जी का मन्दिर, गुर्जर घाटी, जल महल के सामने, आमेर रोड, जयपुर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।
2. गोमा पुत्र स्व. रुडमल, जाति जाट, निवासी ग्राम राजारामपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण



उपस्थित:-

मुत्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 159/2024 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या ...../2024 ब-उनवानी ठाकुर कल्याण जी बनाम गोमा व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

1. श्री राहुल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 09.10.2025

1. संक्षेप में मुत्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 159/2024 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या ...../2024 ब-उनवानी ठाकुर कल्याण जी बनाम गोमा व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुत्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये किन्तु उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।
3. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में एक वर्ष से अधिक लिखित बहस प्रस्तुत कर रखी है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सका। अधीनस्थ न्यायालय एवं पूर्व में न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर में वर्ष 1999 से वाद लम्बित है। न्यायालय द्वारा पूर्व में भी कई पेशीयो पर प्रतिवादीगण को जवाब हेतु समय देते रहे और उसके उपरान्त उक्त वाद लम्बे समय से लम्बित रहने से प्रार्थी वादी को मौके पर रिथत खुद काश्त भूमि मन्दिर की जमीन को काफी नुकसान हुआ है। वादी द्वारा बार-बार आग्रह किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र को लम्बित कर रखा है। वाद पत्र लम्बित रहने की वजह से वादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में शीघ्र निस्तारण

जिला कलक्टर  
जयपुर




की रिट याचिका संख 19552/2022 प्रस्तुत की गई थी। जिसमें उक्त मुकदमे का निस्तारण एक वर्ष में किये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर उक्त प्रकरण लम्बित किया जा रहा है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश की पालना नहीं की जा रही है। बाद पत्र में अंकित भूमि खुद काश्त मन्दिर माफी की होने की वजह से बहुत से दीगर व्यक्तियों द्वारा उक्त लम्बित वाद का फायदा उठाकर दीगर व्यक्तियों द्वारा खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुत्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुत्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

4. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये सुनवाई की जा रही है। प्रकरण वर्तमान में इन्तजार तहसीलदार रिपोर्ट में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद को शीघ्र निस्तारण किये जाने बाबत प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किये जाने बाबत प्रस्तुत किया है।
6. वकील प्रार्थी को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौरान सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुत्तकिल किया जावे। फलस्वरूप मुत्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन कर विचाराधीन प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करावे।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबडी जिला जयपुर को प्रेषित पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2025 को सरें इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी)  
जिला कलेक्टर  
जयपुर